FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

तोगाराम बनाम प्रागाराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील नं. 365/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-12-19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम सियाग में यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/1/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/1/2020	प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगण के नोटिस जारी रजिस्टर्ड एडी भेजे, जिनकी एडी अभी तक अप्राप्त, श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी दिनांक 11-02-2020 को पेश हो / R //	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 13:15:25 IST
Reason: SelfAttested

11-2-2020 - प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगणों नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी भेजे जिनको करीब एक माह से अधिक का समय हो गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई अधिवक्ता या स्वंय अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी प्रार्थी वकील के बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण की खेती सेढा-मेड लगे हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच बनी पुरानी मेडों व कई आंधियों में बिगड़ जाते है तथा दोनों पक्षों के बीच बर्षात के सेढो व कब्जा काश्त को लेकर विवाद रहता है तथा अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान भी नहीं हो पाता है इस लिए प्रार्थी को अपने खेतों की पक्की पैमाइश करवाना आवश्यक है तथा प्रार्थी का पैमाइशी आवेदन स्वीकार कर पैमाइश के आदेश प्रदान करावें।

अत: [illegible] प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो। इसी नम्बर से कम हो, शामिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 11.2.2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

प्रार्थी बींजाराम पुत्र ताजाराम निवासी चौखला
/2020/

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 13:15:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 11/02/2020

क्र0/वाद/2020/ 31

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

बींजाराम पुत्र ताजाराम जाति मेघवाल
निवासी चौखला

आसुराम पुत्र ताजाराम वगैरा
निवासी चौखला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 365/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चौखला पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 363/230 रकबा 38.19 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 32 to 36

दिनांकः– 11/02/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बींजाराम पुत्र ताजाराम
4. विप्रार्थीगण आसुराम पुत्र ताजाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

11.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 13:15:25 IST
Reason: SelfAttested